न्यायालय सहायक कलक्टर(द्वितीय),सीकर

उनवान कमला देवी बनाम मनसाराम

किस्म मुकदमा.....प्रार्थना पत्र–212.....मुकदमा नं..... 35/2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23.01.23	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा0 पत्र अं0 धारा 151 सीपीसी एंव आवेदन अं0 धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा0 पत्र अं0 धारा 151 का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी मनसाराम ने प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया कमला देवी ने कृषि भूमि ख0नं0 1159/994 रकबा 1.76 है0 राजस्व ग्राम पुरा की ढाणी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की रिकार्डेड खातेदार है एंव प्रार्थी आवेदनकर्ता कृषि भूमि ख0नं0 993/725 रकबा 1.98 है0 राजस्व ग्राम पुरा की ढाणी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर का रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी एंव वादिया की कृषि भूमि अलग अलग है। परन्तु प्रार्थीया ने दिनांक 21.04.23 को आवेदन प्रस्तुतकर्ता की कृषि भूमि के संबंध में भी कपटपूर्वक स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। इस स्थगन आदेश में प्रार्थीया ने न्यायालय हाजा से मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अनुतोष प्राप्त करना चाहा। जिसपर प्रार्थीया के अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति का अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया। इसका वादिया ने दुरूपयोग करते हुए पुलिस इमदाद से प्रार्थी की कृषि भूमि किया जा रहा ट्यूबवेल निम्रण को दिनांक 24.12.23 को रूकवा दिया। उक्त अंतरिम स्थगन आदेश का आवेदनकर्ता की कृषि भूमि से कोई संबंध अथवा सरोकार नहीं है एंव वादिया का केस मात्र सीमाज्ञान तक सीमित है। प्रार्थी मंशाराम ने आवेदन पत्र पेश कर भूमि ख0नं0 993/725 रकबा 1.98 है0 की सीमाओं को छोडकर स्थगन आंतरिक भाग पर लागू नहीं होने का आदेश करने हेतु निवेदन किया है। वकील वादिया द्वारा प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी का जवाव पेश नहीं कर,इसपर सीधे बहस की। बहस के दौरान वकील प्रार्थी मंशाराम की ओर से प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी एंव आवेदन अं0 धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम में अंकित तथ्यों को ही दोहराया गया। चूंकि प्रार्थीया द्वारा वाद सीमाज्ञान करवाने हेतु एंव स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ दावा पेश किया है। प्रार्थीया एंव अप्रार्थी विवादित भूमि के दर्ज रिकॉर्डेड खातेदार, काश्तकार है इसलिए स्वंय की खातेदारी भूमि में कृषि भूमि की सिंचाई करने तथा स्वंय के पीने के लिए एंव पशुधन के लिए पानी हेतु ट्यूबवेल निर्माण के कार्य को रूकवाने का प्रार्थीया को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए वाद के अंतिम निस्तारण तक पक्षकारान को अपनी–अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग/उपभोग करने हेतु स्वतंत्र है तथा नींव–सींव कायम रखने हेतु उभय पक्ष को पाबन्द करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान को अपनी–अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग/उपभोग करने हेतु स्वतंत्र करते हुए तथा नींव–सींव कायम रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। आवेदन अं0धारा 151 सीपीसी के साथ ही आवेदन अं0 धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम का भी निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर	